

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या-194/36-3-2014-07 (न्यूयै०)/४ दिनाक 28-1-2014 हारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03-2019-931(न्यूयै०)/०६ दिनाक 30 सितम्बर 2019 हारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरें एवं परिवर्तनीय महगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है उनकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुकम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपमोक्ता सूचकांक आधार वर्ष (2001-100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जनवरी 2020 से जून 2020 के औसत अंक 329 अंकों पर दिनाक 1.10.2020 से दिनाक 31.3.2021 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भौति गणना करके देय होगा—

दृष्टान्त— रूपये-5750/-—प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपमोक्ता मूल सूचकांक-329 पर दिनाक 01.10.2020 से दिनाक 31.3.2021 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।
(329 - 216)

X 5750 = ₹ 3008/- प्रतिमाह

216

कर्मांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	प्रतिमाह परिवर्तनीय महगाई भत्ता रूपये में		दिनाक 1.10.2020 से 31.3.2021 तक	
			दिनाक 1.4.2020 से 30.9.2020 तक	दिनाक 1.10.2020 से 31.3.2021 तक	कुल मजदूरी (रूपये में)	दैनिक मजदूरी (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	2875.00	3008	8758	336.85
2	अर्धकुशल	6325	3162.50	3309	9634	370.53
3	कुशल	7085	3542.50	3706	10791	415.04

नियोजन के नाम—

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(ठायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिठान उद्योग।
4. वासित पेयो (रसोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (लाइन्युड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. सिले सिलाय कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. बैंध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों ने नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13. छलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. टिन प्लट शोपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16. ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो।
17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी सकर्म।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ सकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22. प्राइवेट कोविंग कक्षों प्राइवेट विद्यालयों, जिसमें नर्सी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
23. तम्बाकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. वानिकी (फारेस्ट्री)लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्यजिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26. दुकानों में
27. याणिज्य अधिकानों में।
28. चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लोक मोटर परिवहन।
31. योग्रिक परिवहन कर्मशाला।
32. आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संक्रियाओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35. विकन के कार्य।
36. दियासलाई उद्योग।
37. आइसकैण्डी/आइसकीम विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
39. बर्फ विनिर्माणशाला।

- उप श्रम आयुक्त अधिनियम १९७६ का अधिनियम
42. जिल्दसाजी।
 43. कोल्ड स्टोरेज।
 44. पाटरी, सिरेमिक्स या रिफैक्रीज।
 45. निजी मुद्रणालय।
 46. सिनेमा उद्योग।
 47. कपड़ा छपाई।
 48. सिलाई उद्योग।
 49. एलोफैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मेसी।
 50. कलब।
 51. हथकरघा(सिल्क की साड़ी की बुनाई) जरी के कार्य।
 52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकट मा साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
 53. ऊनी कम्बल बनाने के अधिनियम।
 54. खाण्डसारी।
 55. हथकरघा उद्योग।
 56. शवित चालित करघा उद्योग।
 57. छोटा(मिनीएचर) बल्ब एवं कॉच उत्पादों के निर्माण।
 58. वागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
 59. ईट भट्ठा उद्योग।
 60. ताला उद्योग के नियोजन में।
 61. पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
 62. किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हो।
 63. बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध किया—कलाप सम्मिलित नहीं है।
 64. घरेलू कामगारों का नियोजन।
 65. कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
 66. एल०पी०जी० वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
 67. टैक्सीज, आटोरिक्षा/टैम्पो एवं ट्रैक्टरिंग अभिकरण में नियोजन।
 68. केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
 69. गैर सरकारी संगठन(एन०जी०ओ०) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
 70. विक्रय संवर्धन(विक्रय संवर्धन(सेवा शर्तें)अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
 71. हेयर कटिंग सैलून एवं व्हूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
 72. कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
 73. काल सेन्टर/आईटी० इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
 74. ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हो, में नियोजन।

(सियाराम)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

प्रतिलिपि:-

- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा नियमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मौगे जाने पर उपलब्ध कराए।
- अनुसूचित उ०प्र०शासन, श्रम अनुभाग-३, लखनऊ।
- सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, (वेज सेल) भारत सरकार नई ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
- उप श्रम आयुक्त, (आई० आर०), मुख्यालय, कानपुर।
- अपर श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कोई ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अमिलेखार्थ प्रेषित।
- समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(सियाराम)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।